(1)

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
मंत्रालय
महानदी–भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
रायपुर(छत्तीसगढ़)

क्रमांक एफ 20–80/2019/11/6 रायपुर दिनांक 4....नवंबर, 2019

प्रति,

1. संचालक उद्योग,
   उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
2. समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक,
   जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
   छत्तीसगढ़,।

विषयः–औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन बाबत् औद्योगिक नीति 2019–24 अथवा औद्योगिक नीति 2014–19 का विकल्प लेने बाबत् ।

उपरोक्त विषय में राज्य सरकार की औद्योगिक नीति 2019–24 (दिनांक 01 नवम्बर 2019 से प्रभावी) की कंडिका क्रमांक 15.14 में दिये गये प्रावधान को लागू करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था लागू की जाती है :–

1– जिन सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा अथवा अल्ट्रामेगा उद्योगों के द्वारा औद्योगिक नीति 2014–19 के अंर्तगत दिनांक 01 नवंबर, 2014 से 31 अक्टूबर, 2019 की अवधि उद्योग में स्थापना के लिए कार्यवाही आरंभ की जा चुकी है, अर्थात् उद्यम आकांक्षा/आई.ई.एम. प्राप्त कर लिया है, किन्तु 31 अक्टूबर 2019 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ है, उन्हें औद्योगिक नीति 2014–19 के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त किये जाने का <u>विकल्प</u> भी उपलब्ध होगा किंतु , इस हेतु उन्हें उद्यम आकांक्षा/आई.ई.एम. जारी होने की तिथि से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के मामले में दो वर्ष, मध्यम उद्योग के मामले में तीन वर्ष, वृहद उद्योग के मामले में चार वर्ष, एवं अन्य उद्योगों के मामले में अधिकतम पांच वर्ष के भीतर प्रस्तावित परियोजना को पूर्ण करना होगा।

2– <u>विकल्प</u> संबंधी शपथ पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप में न्यूनतम रू. 50 के स्टाम्प पर नोटराईज्ड) पर औद्योगिक इकाई के कर्त्ता अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए ।

Scanned by CamScanner

3– <u>एक बार लिया गया विकल्प अंतिम होगा एवं इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा</u> ।

4– विकल्प औद्योगिक नीति 2014–19 अथवा औद्योगिक नीति 2019–24 में प्रावधानित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात देय अनुदान, छूट एवं रियायतों पर, समग्र रूप से लागू होगा, अर्थात् किसी औद्योगिक इकाई ने औद्योगिक नीति 2014–19 का विकल्प लिया है तो उन्हें औद्योगिक नीति 2014–19 में पात्रता अनुसार प्रावधानित समस्त अनुदान, छूट एवं रियायतें प्राप्त होंगी एवं यदि किसी औद्योगिक इकाई ने औद्योगिक नीति 2019–24 का विकल्प लिया है तो उन्हें औद्योगिक नीति 2019–24 में प्रावधानित अनुसार समस्त अनुदान, छूट एवं रियायतों की पात्रता प्राप्त होगी।

5– आंशिक विकल्प (कुछ अनुदान, छूट, रियायतें औद्योगिक नीति 2014–19 की एवं कुछ अनुदान, छूट, रियायतें औद्योगिक नीति 2019–24 की) स्वीकार नहीं किया जावेगा । परंतु , यदि किसी निवेशक द्वारा औद्योगिक नीति 2014–19 की अवधि में मात्र स्टॉम्प शुल्क छूट सुविधा प्राप्त की गई हो, तो वह शेष अनुदान, छूट एवं रियायतों हेतु औद्योगिक नीति 2019–24 का विकल्प चयन कर सकता है।

6– जिन पात्र उद्योगों ने औद्योगिक नीति 2014–19 का विकल्प लिया है एवं इस परिपत्र के बिन्दु 1 अनुसार निर्धारित समयावधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं कर पाते है तो उन्हें औद्योगिक नीति 2019–24 में पात्र होने पर, औद्योगिक नीति 2019–24 में घोषित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अनुदान, छूट एवं रियायतों की पात्रता होगी, किन्तु उन्हें औद्योगिक नीति 2014–19 में प्राप्त एवं औद्योगिक नीति 2019–24 में दी जाने वाली अनुदान, छूट एवं रियायतों के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा, अथवा औद्योगिक नीति 2019–24 में दी जाने वाली अनुदान, छूट से संबंधित प्रकरणों में समायोजन किया जाकर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन देय होगा।

7– जिन पात्र उद्योगों ने औद्योगिक नीति 2014–19 का विकल्प लिया है एवं इस परिपत्र के बिन्दु 1 अनुसार निर्धारित समयावधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं कर पाते हैं तथा उद्योग औद्योगिक नीति 2019–24 में संतृप्त श्रेणी के उद्योगों में सम्मिलित हैं तो औद्योगिक नीति 2014–19 में प्रावधानित अनुदान/छूट/रियायतें प्राप्त की है, उनके बराबर राशि व भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तत्समय में लागू प्राईम लेंडिंग रेट (पी.एल.आर.) की दर से निर्धारित ब्याज के साथ जमा करना होगा।

8– जिन इकाईयों ने औद्योगिक नीति 2014–19 की कालावधि (दिनांक 01.11.2014 से 31.10.2024 की अवधि) में उद्यम आकांक्षा/आई.ई.एम. प्राप्त कर लिया है, किन्तु 31 अक्टूबर, 2019 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ है, उनके द्वारा कोई विकल्प चयन नहीं किये जाने एवं अन्यथा अपात्र नहीं होने पर तथा कंडिका 1 में उल्लेखित अवधि

Scanned by CamScanner

(दिनांक 01 नवंबर, 2014 से 31 अक्टूबर, 2019) में परियोजना पूर्ण न होने की स्थिति में, औद्योगिक नीति 2019–24 में घोषित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अनुदान, छूट एवं रियायतों की पात्रता नियमानुसार होगी। यदि किसी इकाई ने 2014–19 स्टांप ड्यूटी के अलावा किसी अन्य सुविधा अनुदान/छूट/रियायतों का लाभ अंशतः अथवा पूर्णतः लिया हो तो उन्हें औद्योगिक नीति 2019–24 का विकल्प लेने की पात्रता नहीं होगी।

9– उपरोक्तानुसार औद्योगिक नीति 2014–19 अथवा 2019–24 का विकल्प पत्र इकाईयों द्वारा इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 90 दिवस के भीतर संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात् विकल्प प्रस्तुतिकरण का प्रावधान लागू नहीं रहेगा एवं इकाई के प्रकरणों पर तत्समय प्रवृत्त (विद्यमान) नियमावली के अनुरूप कार्यवाही की जावे।

संलग्न :– यथोपरि।

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

Scanned by CamScanner

(4)

विकल्प शपथ पत्र

(औद्योगिक नीति 2019–24 के बिन्दु क्रमांक 15.14 के तहत
औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन बाबत् औद्योगिक नीति 2019–24 अथवा
औद्योगिक नीति 2014–19 का विकल्प लेने बाबत्)

(शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में न्यूनतम रू. 50 के स्टाम्प पर नोटराईज्ड प्रस्तुत किया जावे)

मैं ..... आत्मज .....
प्रो./साझेदार/संचालक/सदस्य/अधिकृत प्रतिनिधि मेसर्स .....
.... घोषित करता हूँ कि –

1– औद्योगिक नीति 2019–24 के बिन्दु क्रमांक 15.14 तथा इसके तातरम्य में छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना/आदेश क्रमांक .....
.... दिनांक ..... का अध्ययन कर लिया है ।

2(1) – औद्योगिक नीति 2019–24 के प्रावधान बिन्दु क्रमांक 15.14 के संदर्भ में औद्योगिक इकाई .....
..... द्वारा औद्योगिक नीति 2014–19 में प्रावधानित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अनुदान, छूट, रियायतों का विकल्प लिया जाता है ।

या

2(2) – औद्योगिक नीति 2019–24 के प्रावधान बिन्दु क्रमांक 15.14 के संदर्भ में औद्योगिक इकाई .....
..... द्वारा औद्योगिक नीति 2019–24 में प्रावधानित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अनुदान, छूट, रियायतों का विकल्प लिया जाता है ।

3– यदि बिन्दु क्रमांक 2(1) के तहत लिये गये विकल्प के तहत औद्योगिक इकाई द्वारा उद्यम आकांक्षा/आई.ई.एम. जारी होने की तिथि से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के मामले में दो वर्ष, मध्यम उद्योग के मामले में तीन वर्ष, वृहद उद्योग के मामले में चार वर्ष, एवं अन्य उद्योगों के मामले में अधिकतम पांच वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया जाता है तो औद्योगिक नीति 2019–24 में पात्र होने पर, औद्योगिक नीति 2019–24 में घोषित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अनुदान, छूट एवं रियायतों की पात्रता होगी जिसके लिए औद्योगिक नीति 2014–19 में प्राप्त एवं औद्योगिक नीति 2019–24 में दी जाने वाली अनुदान, छूट एवं रियायतों के अंतर की राशि का भुगतान करने अथवा औद्योगिक

Scanned by CamScanner

नीति 2019–24 में दी जाने वाली अनुदान, छूट से संबंधित प्रकरणों में समायोजन किये जाने हेतु सहमति दी जाती है।

4 – यह भी शपथपूर्वक घोषित किया जाता है कि औद्योगिक नीति 2014–19 अनुसार विकल्प लिये जाने पर यदि उद्यम आकांक्षा/आई.ई.एम. जारी होने की तिथि से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के मामले में दो वर्ष, मध्यम उद्योग के मामले में तीन वर्ष, वृहद उद्योग के मामले में चार वर्ष, एवं अन्य उद्योगों के मामले में अधिकतम पांच वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया जाता है तथा उद्योग औद्योगिक नीति 2019–24 में संतृप्त श्रेणी के उद्योगों में सम्मिलित हैं तो औद्योगिक नीति 2014–19 में प्रावधानित अनुदान /छूट /रियायतें प्राप्त की है, उनके बराबर राशि व भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तत्समय में लागू प्राईम लेंडिंग रेट (पी.एल.आर.) की दर से निर्धारित ब्याज के साथ जमा किया जायेगा ।

5 – औद्योगिक इकाई द्वारा औद्योगिक नीति व शासन के समस्त नियमों का पालन किया जावेगा।

स्थान :
दिनांक:

हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
सील

Scanned by CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,सरगुजा

फोन नं0(07774) 222704 E-Mail: dtic-surguja.cg@gov.in, dticsurguja@gmail.com

क्रमॉक/जिव्याउके–अं0पुर/औ.नीति/2019/3668–71 अम्बिकापुर, दिनॉक 31/12/2019

प्रति,

1– **अध्यक्ष,**
सरगुजा लघु उद्योग संघ,
द्वारा मेसर्स शारदा एल्यूमिनियम वर्क्स,
अर्द्वशहरीय औद्योगिक संस्थान, बनारस रोड,
अम्बिकापुर।

2– **अध्यक्ष,**
सरगुजा संभागीय उद्योग संघ
द्वारा मेसर्स कथूर माईनिंग
अर्द्वशहरीय औद्योगिकसंस्थान,
बनारस रोड, अम्बिकापुर ।

3– **अध्यक्ष,**
छ0ग0चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्ड0
द्वारा– गोयल ट्रेडिंग कंपनी
खरसिया रोड, अम्बिकापुर।

4– **संयोजक,**
लघु उद्योग भारती
द्वारा मेसर्स शारदा एल्यूमिनियम वर्क्स,
अर्द्वशहरीय औद्योगिक संस्थान, बनारस
रोड, अम्बिकापुर ।

विषयः– **औद्योगिक नीति 2019–24 के अन्तर्गत "औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन बाबत् औद्योगिक नीति 2019–24 अथवा औद्योगिक नीति 2014–19 का विकल्प लेने" संबंधी परिपत्र प्रेषण बाबत् ।**

संदर्भ :– **उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़** का पत्र क्रमांक 67/औ.नीति/2019/21770–96 रायपुर दिनांक 10 दिसम्बर, 2019

उपरोक्त विषयांतर्गत **उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़** से प्राप्त संदर्भित पत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है । कृपया तत्संबंध में आपके औद्योगिक संघ के सदस्यों/औद्योगिक इकाईयों को **औद्योगिक नीति 2019–24 के अन्तर्गत "औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन बाबत् औद्योगिक नीति 2019–24 अथवा औद्योगिक नीति 2014–19 का विकल्प लेने" संबंधी परिपत्र** के संबंध में प्राप्त दिशा–निर्देश से अवगत कराते हुये की गई कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे कि कार्यवाही से उद्योग संचालनालय को अवगत कराया जा सके ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार, परिपत्र की प्रति ।

31/12/19
महाप्रबन्धक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सरगुजा

पृ0क्रमॉक/जिव्याउके–अं0पुर/औ0नीति/2019/3672 अम्बिकापुर, दिनॉक 31/12/2019

प्रतिलिपिः–

संचालक, उद्योग संचालनालय, उद्योग भवन, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर संदर्भित पत्र क्रमांक 67/औ.नीति/2019/21770–96 रायपुर दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 के परिपालन में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

31/12/19
महाप्रबन्धक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सरगुजा

Scanned by CamScanner